

पत्रावली पत्र हुमी। वादी व वकील वादी
अनुपस्थित। बार-बार आवाज लगावायी
गयी। आवाज लगावायी जाने के उपरान्त भी
वादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।
अतः वादी का वाद पत्र अदालत हाजरी अदालत
पैरवी में खारीज किया जाता है। पत्रावली
जैनल बुधवार होकर नम्बर है आ होकर
दफ्तर वाकिल हो



राजेश कुमार यादव
अधीकारी
नीमकाशाना (सीकर)